न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2015 पुनरीक्षण निगरानी 549-I-15

1. हरीराम राजपूत पुत्र श्री चन्द्रभान राजपूत
2. रामनारायन राजपूत पुत्र श्री चन्द्रभान राजपूत
3. रामपाल सिंह पुत्र श्री गौरीशंकर राजपूत समस्त निवासीगण सलैया खालसा तहसील कुलपहाड़ जिला महौबा (उ.प्र.)
4. कुटटू पुत्र श्री मोतीलाल राजपूत निवासी ग्राम भगारी तहसील कुलपहाड जिला महौबा (उ.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1. शंभूदयाल साहू पुत्र श्री छेदीलाल साहू निवासी – टी.बी. अस्पताल के सामने, नौगांव तहसील नौगांव जिला छतरपुर (म.प्र)
2. म.प्र. शासन

...... अनावेदकगण

मुकेश भार्गव 17-3-15 एडवोकेट ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार तहसील नौगांव जिला छतरपुर द्वारा प्र. कं. 08/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 24.5.14 को 3-6-14 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

संक्षिप्त तथ्य –

यह कि, अनावेदक शंभूदयाल साहू ने कस्बा नौगांव राजस्व निरीक्षक मण्डल नौगांव तहसील नौगांव जिला छतरपुर में स्थित आराजी ख.नं. 754/2/15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-549-एक/2015 जिला छतरपुर हरीराम विरूद्ध शंभूदयाल व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार नौगांव जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 08/अ-12/2013-14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24-05-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 10.1.19 सदस्य	